राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

कमांक: भूमि/एफ.7(ड)(180)/डीएलबी/17/ 5781 दिनांक :– 18/10/2017

आयुक्त,
नगर परिषद,
बाडमेर।

विषय:–नगर परिषद् क्षेत्र बाडमेर के खसरा सख्या 1527 अवस्थित महावीर नगर योजनान्तर्गत शैक्षणिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि पर आदर्श शिक्षण समिति, बाड़मेर, को प्राथमिक विद्यालय मय छात्रावास के लिये 3750 वर्गमीटर क्षेत्रफल की भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटित किये जाने बाबत्।

प्रसंग:–आपका पत्र सं. 14979 दिनांक 24.06.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के द्वारा नगर परिषद् क्षेत्र बाड़मेर के खसरा सख्या 1527 में अवस्थित महावीर नगर योजनान्तर्गत शैक्षणिक प्रयोजनार्थ आरक्षित आदर्श शिक्षण समिति, बाडमेर को प्राथमिक विद्यालय एवं छात्रावास के लिये 3750 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटित किये जाने स्वीकृति चाही गई है।

नगर पालिका, बाडमेर की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 20.07.2017 के अतिरिक्त प्रस्ताव संख्या 02 में आदर्श शिक्षा समिति बाडमेर को महावीर नगर के जी ब्लॉक में प्रचलित आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन किये जाने की स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया है।

पूर्व में नगर परिषद, बाडमेर के प्रस्तावानुसार उक्त संस्था को यह भूमि प्रचलित आरक्षित दर पर विभाग के आदेश दिनांक 17.07.17 द्वारा आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

अत: राज्य सरकार एतद् द्वारा नगर परिषद् बाड़मेर के नवीन प्रस्तावानुसार परिषद् क्षेत्र बाड़मेर के खसरा संख्या 1527 में अवस्थित महावीर नगर योजनान्तर्गत शैक्षणिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि आदर्श शिक्षण समिति, बाड़मेर को प्राथमिक विद्यालय एवं छात्रावास के लिये 3750 वर्गमीटर भूमि उक्त क्षेत्र की प्रचलित आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर एवं नियमानुसार लीज राशि पर आवंटन की स्वीकृति प्रदान करती है।

यह स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

कमांक: भूमि/एफ.7(ड)(180)/डीएलबी/17/ दिनांक :–

प्रतिलिपि:–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, बाडमेर।
4. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
5. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त निदेशक